

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

गिनो नं० - 182/2024

अनवांन :-

1. सुबेसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सुमन पत्नी राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।


:-वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. अनुराधा पुत्री राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जून वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 255/236 के मु० न० 25 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० बरानी, मु० न० 26 के किला न० 3/2 की 0.101है०, किला न० 4 की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 7 की 0.253है०, किला न० 8/1 की 0.215है०, किला न० 8/2 की 0.013है०, किला न० 9 की 0.228है०, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 12/1 की 0.126है०, किला न० 12/2 की 0.089है०, किला न० 13, 14 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 15/1 की 0.228है०, किला न० 15/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 16/1 की 0.228है०, किला न० 16/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 17, 18 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.202है०, किला न० 19/2 की 0.025है०, किला न० 20/1 की 0.215है०, किला न० 20/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 21/1 की 0.163है०, किला न० 21/2 की 0.051है०, किला न० 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 25/1 की 0.228है०, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 27 के किला न० 3 ता 7 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 41 के किला न० 4 की 0.253है०, किला न० किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 7 की 0.253है०, मु० न० 42 के किला न० 1, 2, 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल 14.1030है० जिसमें बरानी 12.132है०, गै० मु० रास्ता 0.200है०, नहरी 1.7710है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्रप्रसाद के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्रप्रसाद अकेले के वजाए वादीगण सं० 1 सुबेसिंह, वादीगण सं० 2 सुमन व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/4/25 को मेरे हस्ताक्षर  न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



मि0न0 - 182/2024

अनवान : -

1. सुवेशिंह पुत्र राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सुमन पत्नी राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।

:--वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. अनुराधा पुत्री राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:--प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री कपूरचंद शर्मा वादीगण


श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 255/236 के मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी, मु0 न0 26 के किला न0 3/2 की 0.101 है0, किला न0 4 की 0.253 है0, किला न0 5/1 की 0.228 है0, किला न0 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 6/1 की 0.228 है0, किला न0 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 7 की 0.253 है0, किला न0 8/1 की 0.215 है0, किला न0 8/2 की 0.013 है0, किला न0 9 की 0.228 है0, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 12/1 की 0.126 है0, किला न0 12/2 की 0.089 है0, किला न0 13, 14 प्रत्येक की 0.253 है0, किला न0 15/1 की 0.228 है0, किला न0 15/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 16/1 की 0.228 है0, किला न0 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 17, 18 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 19/1 की 0.202 है0, किला न0 19/2 की 0.025 है0, किला न0 20/1 की 0.215 है0, किला न0 20/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 21/1 की 0.163 है0, किला न0 21/2 की 0.051 है0, किला न0 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 25/1 की 0.228 है0, किला न0 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, मु0 न0 27 के किला न0 3 ता 7 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 न0 41 के किला न0 4 की 0.253 है0, किला न0 किला न0 5/1 की 0.228 है0, किला न0 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 6/1 की 0.228 है0, किला न0 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 7 की 0.253 है0, मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 14.1030 है0 जिसमें बारानी 12.132 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.200 है0, नहरी 1.7710 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्रप्रसाद के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।


अधिकारी (राजस्व)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तागिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 3 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है, व वकील वादी ने प्रतिवादी सं० 1 की पत्नी वादीया सं० 2 सुमन के नाम उक्त वादभूमि में से हक हिस्सा की घोषणा के संदर्भ में लिखमादेवी बनाम रामजीलाल और अन्य आरआरडी 14.07.2008 की नजीरें पेश की है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 255/236 के मु० न० 25 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० बाराणी, मु० न० 26 के किला न० 3/2 की 0.101है०, किला न० 4 की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 7 की 0.253है०, किला न० 8/1 की 0.215है०, किला न० 8/2 की 0.013है०, किला न० 9 की 0.228है०, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 12/1 की 0.126है०, किला न० 12/2 की 0.089है०, किला न० 13, 14 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 15/1 की 0.228है०, किला न० 15/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 16/1 की 0.228है०, किला न० 16/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 17, 18 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.202है०, किला न० 19/2 की 0.025है०, किला न० 20/1 की 0.215है०, किला न० 20/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 21/1 की 0.163है०, किला न० 21/2 की 0.051है०, किला न० 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 25/1 की 0.228है०, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 27 के किला न० 3 ता 7 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 41 के किला न० 4 की 0.253है०, किला न० किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 7 की 0.253है०, मु० न० 42 के किला न० 1, 2, 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल 14.1030है० जिसमें बाराणी 12.132है०, गै० मु० रास्ता 0.200है०, नहरी 1.7710है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्रप्रसाद के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 255/236 के मु० न० 25 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० बाराणी, मु० न० 26 के किला न० 3/2 की 0.101है०, किला न० 4 की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.228है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० रास्ता, किला न० 7 की 0.253है०, किला न० 8/1 की 0.215है०, किला न० 8/2 की 0.013है०, किला न० 9 की 0.228है०, 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 12/1 की 0.126है०, किला न० 12/2 की 0.089है०, किला न० 13, 14 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 15/1 की 0.

Kalra
अधिकारी (राजस्व)

228 है०, किला न० 15/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 16/1 की 0.228 है०, किला न० 16/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 17, 18 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 19/1 की 0.202 है०, किला न० 19/2 की 0.025 है०, किला न० 20/1 की 0.215 है०, किला न० 20/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 21/1 की 0.163 है०, किला न० 21/2 की 0.051 है०, किला न० 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 25/1 की 0.228 है०, किला न० 25/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 27 के किला न० 3 ता 7 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 41 के किला न० 4 की 0.253 है०, किला न० किला न० 5/1 की 0.228 है०, किला न० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.228 है०, किला न० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 7 की 0.253 है०, मु० न० 42 के किला न० 1, 2, 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल 14.1030 है० जिसमें वारानी राजेन्द्र प्रसाद के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 सं० 1 राजेन्द्र प्रसाद अकेले के बजाए वादीगण सं० 1 सुबेसिंह, वादीगण सं० 2 सुमन व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र को यहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/4/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 मादरा जिला हनुमानगढ़
 R.A.S